न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 53 / 2019

अपीलान्ट बनाम रेस्पोडेन्ट्स

कबूराम पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल
निवासी चून्दिया तहसील रिंयाबडी।

1तहसीलदार, रिंयाबडी।
2पटवारी चून्दिया।

उपस्थिति :–
1. श्री जोराराम मेहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांक:13.09.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, रिंयाबडी द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 94 / 2017 सरकार बनाम कबूराम में निर्णय दिनांक 15.02.18 के तहत मौजा भानास के खसरा नं. 124 रकबा 0.02 हैक्ट. गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.06.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 24.06.19 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार रिंयाबडी को आवेदित नकल फॉर्म की फोटोप्रति, तहसीलदार रियाबडी के प्रकरण सं. 94 / 17 सरकार बनाम कबूराम के फर्द अहकाम दिनांक 23.10.17 से दिनांक 15.2.18 की फोटोप्रति, पटवारी चून्दिया की रिपोर्ट दिनांक 25.09.17 की फोटोप्रति, तहसीलदार रियाबडी जारी नोटिस की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को दिनांक 13.05.19 को हुई व उसी दिन नकल प्राप्त की, जिसकी जानकारी नकले लेने के समय से अंदर मयाद अपील पेश की। दिनांक 15.2.18 से दिनांक 13.5.19 के मध्य व्यतीत हुए समय को कन्डोन किये जाने हेतु अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने मे विधिक व कानूनी त्रुटि की है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित करने मे कानूनी व वाकियाति गलती की है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही होने पर उसकी सूचना अपीलांट को देकर निर्णय पारित करना चाहिये था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही का नोटिस देकर सूचना नही की, जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश मे यह नही लिखा कि पटवारी हल्का चून्दिया, जो रिपोर्टकर्ता है, उस समय न्यायालय मे पैरवी हेतु उपस्थित था या नही व न ही दिनांक 23.10.17 से 15.02.18 की आदेशिकाओ मे पटवारी हल्का रेस्पोडेन्ट सं. 2 की उपस्थिति दर्ज है। जिससे प्रकरण प्रारंभिक स्टेज पर ही अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाना चाहिये था, परंतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है, जो खारिज योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(V)–रेस्पोडेन्ट सं. 2 की साक्ष्य भी अधीनस्थ न्यायालय मे लेखबद्व नही हुई है। अगर रेस्पोडेन्ट सं. 2 की साक्ष्य लेखबद्व होती तो अपीलांट को जिरह का अवसर प्राप्त होता व न्यायालय के समक्ष सही स्थिति रेकर्ड पर आती व न्याय निर्णयन मे सहूलियत भी होती। परंतु किसी प्रकार की साक्ष्य अपीलांट के विरूद्व नही होते हुए भी निर्णय अपीलांट के विरूद्व किया है, जो अपास्त योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा भानास में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके भानास के खसरा नंबर 124 रकबा 0.02 हैक्ट. गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट का उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर